



**XXXIX(a)BR(H)-11**

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक आर 2063-एक/05

जिला-सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
8-7-14	<p>इस प्रकरण में दिनांक 29-4-09 के बाद से आवेदक की ओर से कोई उप. नहीं हो रहा है । इससे ऐसा प्रतीत होता है कि आवेदक को अपना प्रकरण चलाने में कोई रूचि नहीं है ।</p> <p>अतः आवेदक की रूचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है । दाखिल रिकार्ड हो ।</p> <p style="text-align: right;"> (एम.के.सिंह) सदस्य</p>	



माननीय न्यायालय म. प्र. राजस्व मंडल ग्वालियर म. प्र.

प्रकरण क्रमांक 105 निगरानी 2063 II / 05

गोपी पुत्र गोकुल चमार, निवासी-अकोना  
तेहसील नागोद जिला सतना

-- निगरानीकर्ता

बनाम

1. विजयसिंह पुत्र गोविन्दसिंह
2. जितेन्द्रसिंह पुत्र महेश आदरी  
निवासीगण ग्राम रेऊजा खुर्द तेहसील  
नागोद जिला सतना
3. तिलकराजसिंह पुत्र उमाप्रतापसिंह, निवासी  
अकोना तेहसील नागोद जिला सतना

-- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म. प्र. भू-राजस्व संहिता 1959  
विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा  
प्रकरण क्रमांक 444/अपील/2002-2003 वउनवान विजयसिंह पुत्र  
गोविन्द राजसिंह बनाम गोपी आदि आदेश दिनांक  
21.11.2005

श्रीमानजी,

प्रार्थी का निगरानी प्रार्थनापत्र निम्न प्रकार प्रस्तुत है :-

सक्षेप में तथ्य :-

- १। यह कि, प्रार्थी - ने एक प्रार्थनापत्र, प्रतिप्रार्थीगण क्रमांक 1, 2  
व 3 के विरुद्ध इस बाबत पेश किया था कि माँके पर विवादित  
जमीन का सीमांकन कराया जाकर उसका आधिपत्य प्रार्थी को  
दिलाया जावे इस बाबत धारा 250 म. प्र. भू-राजस्व संहिताके  
अन्तर्गत आवेदन प्रस्तुत किया था । उपरोक्त आवेदन पर से  
अधीनस्थ न्यायालय तेहसीलदार द्वारा विधिपूर्वक कार्यवाही की  
जाकर सीमांकन कराया गया और उस आधार पर रेसोल्यूशन  
के विरुद्ध अपील का आदेश प्रदान किया गया था । सीमांकन

श्रीमानजी को  
8/12/05

Anoop  
8/12

- 8 DEC 2005

Mahar  
(2163 मिक मिक)  
Hakud  
13/11/05

गोपी